उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्याः– 4173 /सेक–2–पांच–17–5(282)/2013
लखनऊः दिनांक : 12 दिसम्बर, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

डा0 अशोक कुमार (वरिष्ठता क्रमांक–10199), निश्चेतक, वीरांगना झलकारीबाई महिला चिकित्सालय, हजरतगंज, लखनऊ सम्प्रति निलम्बित के विरूद्ध प्राइवेट प्रैक्टिस निर्बन्धन नियमावली, 1983 एवं उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के सुसंगत प्राविधानों का घोर उल्लंघन करते हुए ऋषि चिकित्सालय, विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ जो एक निजी चिकित्सालय एवं गैर निर्बन्धित इकाई के रूप में चलाया जा रहा है, में जाकर शासकीय नियमों के विपरीत उक्त निजी चिकित्सालय में भर्ती 11 वर्ष के बच्चे (शुभम) का आपरेशन करने हेतु एनेस्थीसिया दिये जाने के फलस्वरूप दिनांक 02.08.2013 को मृत्यु हो जाने इत्यादि आरोपों में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–5010/सेक–2–पांच–17–5(282)/2013, दिनांक 27.12.2013 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम–7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए उक्त आरोपों की जांच हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रश्नगत अपकृत्य/कदाचार हेतु डा0 अशोक कुमार को कार्यालय–ज्ञाप संख्या–4331/सेक–2–पांच–15–5(282)/2013, दिनांक 27.12.2013 द्वारा निलम्बित करते हुए कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, चित्रकूट से सम्बद्ध किया गया था।

2– डा0 अशोक कुमार (वरिष्ठता क्रमांक–10199), निश्चेतक, वीरांगना झलकारीबाई महिला चिकित्सालय, हजरतगंज, लखनऊ का कार्यालय–ज्ञाप संख्या–4331/सेक–2–पांच–15–5(282)/2013, दिनांक 27.12.2013 द्वारा किया गया निलम्बन समाप्त कर सेवा में बहाल करते हुए डा0 अशोक कुमार को जिला महिला चिकित्सालय, सीतापुर में निश्चेतक के पद पर तैनात किये जाने हेतु श्री राज्यपाल एतदद्वारा आदेश प्रदान करते हैं।

3– डा0 अशोक कुमार के विरूद्ध कार्यालय ज्ञाप संख्या–5010/सेक–2–पांच–17–5(282)/2013, दिनांक 27.12.2013 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही यथावत् प्रचलित रहेगी। निलम्बन अवधि के अवशेष वेतन भत्तों के संबंध में विभागीय कार्यवाही में अन्तिम निर्णय के पश्चात् निर्णय लिया जायेगा।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

पृ0सं0–4173 (1)/सेक–2–पॉच–17, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3– निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 अशोक कुमार को प्रश्नगत आदेश तामील कराते हुए तामीली की सूचना 03 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराएं।
4– अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
5– जांच अधिकारी/अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
6– अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ/चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा।
7– मुख्य चिकित्साधिकारी, चित्रकूट।

8— मुख्य चिकित्सा अधीक्षिक, झलकारीबाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ/जिला महिला चिकित्सालय, सीतापुर।

9— मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ/चित्रकूट/सीतापुर।

10— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

11— प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत आदेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित चिकित्साधिकारी का पी—2 संशोधित करने का कष्ट करें।

12— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)

अनु सचिव।